न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 30/2024

1. प्रेमलता पत्नी श्री राधेश्याम तम्बोली
2. राधेश्याम तम्बोली पुत्र श्री रामस्वरूप जी तम्बोली
   निवासीगण मकान नम्बर 750, प्रगति नगर, कोटडा, अजमेर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पूनम सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह,निवासी प्लॉट नम्बर 01, कमल विहार, मानसरोवर, जिला जयपुर राज0
2. जितेन्द्र तम्बोली पुत्र श्री राधेश्याम तम्बोली पंजाब नेशनल बैंक, तहसील परबतसर, जिला नागौर पुलिस थाना बाजवास पिन 341503

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश 36/2023 दिनांक 01.05.2024 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 18.11.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 01.05.2024, जिसमें "प्रार्थी/(अपीलान्ट), अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है, तथा प्रेमलता चेस्टपेन, बी.पी, शुगर, लीवर व हार्ट प्रोब्लम जैसी गम्भीर बीमारियों से भी ग्रस्त है। प्रार्थीगण का पुत्र जितेन्द्र तम्बोली वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नागौर में पदस्थापित है, तथा काफी समय से वही किराये के मकान में रहता है। अपीलार्थी के पुत्र जितेन्द्र तम्बोली का विवाह रेस्पोडेन्ट पूनम सिंह के साथ दिनांक 05.12.2012 को हुआ था तथा दोनों के वैवाहिक सबंधो से एक पुत्री यशिका हुई। विवाह के बाद से ही अपीलार्थी की पुत्रवधू के वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद के चलते छोटी–छोटी बातों को लेकर वाद-विवाद होता था। उक्त सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट 1 को बाहर नहीं निकालने, और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक क्रूरता कारित न करें व ना ही अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से बेदखल करने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 व 02 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय/पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष एक शिकायत अन्तर्गत धारा 5 माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दिनांक 29.09.2023 को इस आशय से प्रस्तुत की थी कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है, तथा प्रेमलता चेस्टपेन, बी.पी, शुगर, लीवर व हार्ट प्रोब्लम जैसी गम्भीर बीमारियों से भी ग्रस्त है। प्रार्थीगण का पुत्र जितेन्द्र तम्बोली वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नागौर में पदस्थापित है, तथा काफी समय से वही किराये के मकान में रहता है। अपीलार्थी के पुत्र जितेन्द्र तम्बोली का विवाह का रेस्पोडेन्ट पूनम सिंह के साथ दिनांक 05.12.2012 को हुआ था तथा दोनों के वैवाहिक सबंधो से एक पुत्री यशिका हुई। विवाह के बाद से ही अपीलार्थी के पुत्रवधू के वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद के चलते छोटी–छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होता था। दिनांक 30.11.2021 को अपीलार्थी की पुत्रवधू पूनम सिंह बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के अपने पति एवं अपीलार्थीगण का घर छोड़कर अपने पीहर जयपुर चली गई। अपीलार्थीगण की पुत्रवधु के अपने पीहर जयपुर चले जाने से तथा अपीलार्थीगण के पुत्र की नौकरी नागौर में होने के कारण दोनों का ही कोई वास्ता, लेन–देन प्रार्थीगण से नहीं था ओर ना ही प्रार्थीगण का पुत्र एवं उनकी पुत्रवधु दोनों ही अपीलार्थीगण के पास नहीं रहते थे तथा अपीलार्थीगण दोनो अपना वृद्वावस्था में अपना जीवनयापन कर रहे थे। अपीलार्थीगण के पुत्र–पुत्रवधु के आपस में वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों ने एक दूसरे के विरूद्व मुकदमें कर रखे है, जो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थीगण उपरोक्त पते पर निवास कर रहे है, तथा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति अपीलार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिस पर अपीलार्थीगण ने निर्माण कार्य करवाकर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में निवास कर रहे है। अपीलार्थीगण वृद्ध नागरिक है, तथा दोनो वृद्ध नागरिक सुखीपूर्व जीवन व्यतित कर रहे थे परन्तु दिनांक 17.09.2023 को करीब साढे तीन बजे अपीलार्थीगण की पुत्रवधु श्रीमती पूनम सिंह अपीलार्थीगण के घर आई और अपीलार्थीगण के घर में कब्जा करने की नियत से घुस गई तथा लडाई–झगड़ा करने लग गई। जिस पर दोनो अपीलार्थीगण जो कि बुजुर्ग है, अपनी पुत्रवधु को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि तुम्हारा पति हमारे साथ काफी सालो से नहीं रह रहा है और हमारा उससे कोई लेना–देना नही है तथा तुम्हारा व जितेन्द्र का तलाक का केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी के केस में हमे परेशान मत करो। रेस्पोडेन्ट पूनम सिंह नहीं मानी और कमरे में घुसकर कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया और कहने लगी कि अब मैं नहीं जाउंगी और अपीलार्थीगण के साथ अभ्रद व्यवहार करने लगी और कहने लगी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम लोगो पर नाम लगा दूंगी या जिससे तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे और तुम दोनो बुढे–बुटिया इस विवाद की जड़ हो तथा रेस्पोडेन्ट एक द्वारा यह भी धमकी दी गई कि तुम दोनों बुढे–बुढिया को मार दूंगी। मुझे चेन आ जाएगा और मरने के बाद वैसे ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। अपीलार्थीगण वृद्ध दम्पत्ति है, वृद्वावस्था में हर व्यक्ति यह अपेक्षा करता है, कि वह अपने जीवन के वृद्वावस्था के दिन सुकून व शान्ति से बिताए परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कूरता की सारी हदें पार करते हुए इस हद तक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया है कि अपीलार्थीगण मरणासन स्थिति में आ गए। रेस्पोडेन्ट संख्या एक अपीलार्थीगण की सम्पत्ति हथित्याने के लिए उनके साथ कोई भी अवांछनीय की घटना कारित कर सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए गए अत्याचारो से बहुत परेशान है। जिस कारण अपीलार्थीगण अपना बुढापा व बचा हुआ जीवन सुख–शान्ति से अपने ही मकान में नहीं जी पा

जिला कलक्टर
अजमेर

रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पुलिस इमदाद के जरिये अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से बाहर निकालने के आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण को ताउम्र पाबन्द करके किसी प्रकार की मानसिक व शारिरिक क्रूरता कारित नहीं करने हेतु व अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से बेदखल करने हेतु पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी,अजमेर) भरण–पोषण अधिकरण को प्रस्तुत किया गया । जिसमें दिनांक 01.05.2024 को आदेश पारित किए गए कि प्रार्थना पत्र अधिनियम के तहत संधारणीय तथा न्यायोचित नहीं पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। वह आदेश विधिक प्रावधानो के विपरित होने व त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। माननीय अधिकरण द्वारा धारा 5 के अधीन कोई जांच नहीं की गई और ना ही प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के शपथ पर साक्ष्य ली गई और ना ही दस्तावेजों तथा तत्वकी सामग्री को रिकॉर्ड पर लिए बिना ही उक्त आदेश पारित किया हो जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पुलिस इमदाद के जरिये अपीलाथीगण की सम्पत्ति से बाहर निकालने के आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक क्रूरता कारित ना करें व ना ही अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से बेदखल करे। अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Honorable Delhi High Court Judgement Sunny Paul & Anr. Vs State Net of Delhi & ors on 15 March 2017, Sunny Paul Vs State Of Net Delhi & Ors on 3 October 2018, Shadab Khairi & Anr Vs The State & Ors on 22 Feburary 2018, Honourable Chattisgarh High Court Pramod Ranjankar Vs Arunashankar 2 Wps/4633/2018 S....on 18 July 2018, Honourable Delhi High Court Judgement Darshna Vs Govt of Net Of Delhi & Ors on 3 October 2018, Honorable Punjab & Haryana High Court Judgement Hamina Kang Vs District Magistrate (U.T.).. on 25 January 2016, Honorable Delhi High Court Judgement Anita Barreja Vs Jagdish Lal Barreja On 26 September 2017, Citation 2008 Cr.L.R. (SC) 259 to 272 Honorable Madras High Court V.P. Anuradha Vs S. Sugnantha @Sugnanthi on 4 February 2015, Honorable Delhi High Court judgement Sandeep Gulati Versus Divisional Commissioner Department Of revenue Gov. Of NCT Of Delhi And ORS. On 13-03-2020, SSC Online ALL 763: (2020) 141 ALR 570 Honorable High Court OF Rajasthan Bench At Jaipur S.B. Civil Writs No. 23331/2018 Mahesh Chand Pareek & Others Vs. Jagdish Chand Pareek & Others Order Date 01-04-2019, W.P.A. 10835 of 2021 [Ramapada Basak & Anr. Vs The State Of West Bengal & Ors.], Honorable High Couret Of Punjab And Haryana At Chandigarh sr. No. 110 LPA-257-2024 (O&M), Date Of decision: 06-02-2024 पेश किये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, ने आपत्ति बाबत अपील प्रस्तुत कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि आपत्तिकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 1 मकान संख्या 750 प्रगति नगर कोटडा अजमेर में निवास कर रही है। आपत्तिकर्ता का जयपुर का पता दिया गया है वह उसके मायके का पता है तथा स्थाई पता नहीं है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा जो प्रमाण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए थे उनके आधार पर विवेक पूर्वक उचित निर्णय लिया गया है इस कारण उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी श्रीमती प्रेमलता गंभीर बीमारियो से ग्रसित हो सही ना होने से अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री जितेन्द्र तम्बोली नागौर में पदस्थापित है तथा वे आपत्तिकर्ता को अपने साथ नहीं रख रहे है, आपत्तिकर्ता की एक छोटी पुत्री है जिस कारण वह अपने वैवाहिक आवास में निवास कर रही है जिसका पूर्ण विधिक अधिकार है। आपत्तिकर्ता श्रीमती पूनम का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जितेन्द्र तम्बोली के साथ दिनांक

जिला कलक्टर
अजमेर

05.12.2012 को हुआ तथा दोनो के वैवाहिक सबंध से एक पुत्री यशिका का जन्म हुआ, विवादित नहीं है। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद होने के कारण आपत्तिकर्ता दिनांक 30.11.2021 को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पति व अपीलार्थीगण का घर छोड़कर अपने पीहर जयपुर चली गयी हो सही ना होने से अस्वीकार है। आपत्तिकर्ता अपने वैवाहिक आवास में निवास कर रही है, अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 येनकेन प्रकारेण आपत्तिकर्ता को उसके वैवाहिक आवास से बेदखल करना चाहते है इसी कारण उनके द्वारा झूठे आक्षेप लगाकर वर्तमान अधिनियम का सहारा लेते हुए आपत्तिकर्ता को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। आपत्तिकर्ता शांतिपूर्वक अपने वैवाहिक आवास में निवास कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कभी भी अपीलार्थीगण से कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया तथा ना ही मारने अथवा स्वंय मरने की कोई धमकी दी। दोनो अपीलार्थीगण वृद्ध है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थीगण की पुत्रवधु है तथा उसे भी जीने का अधिकार है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पति उसे अपने साथ नहीं रख रहा है इस कारण वह अपने वैवाहिक आवास पर रहने को विवश है क्योंकि उसके पास रहवास का अन्य कोई आसरा नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शांतिपूर्वक निवास कर रही है। माननीय अधिनस्थ अधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुचने पर ही अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वरिष्ठजन के भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानो का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके वैवाहिक आवास से बेदखल करना चाहते है। यह पाते हुए न्यायपूर्ण आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सम्पत्ति मकान नं0 750 प्रगति नगर कोटडा अजमेर अपीलार्थी संख्या 2 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा गाली गलौच दुर्व्यवहार कर घर में कलहपूर्ण वातावरण बना दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रार्थीगण की एक मात्र पुत्र संतान है तथा बीमारी एवं वृद्वावस्था में शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु तथा अपने दाम्पत्य जीवन बचाने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लेकर अपीलार्थीगण के निवास का परित्याग कर अपने कार्यस्थल जिला पाली मारवाड वर्ष अक्टूबर 2015 से सम्पत्ति संख्या एफ 2 मरूधर नगर गायत्री नगर पाली में निवास करने लगा तथा समय समय पर स्वंय अजमेर आकर माता पिता की सार संभाल भी करता रहा जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लडाई झगडा करती उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का स्थानान्तरण परबतसर जिला नागौर में हो गया तब से जुलाई 2019 से परबतसर जिला नागौर में रहे बीच में परबतसर में अपडाउन भी किया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण के साथ रहने से साफ इंकार कर दिया जिस पर श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बंशी सिंह की सम्पत्ति जिसका पता पंचायत समिति के पीछे जिला नागौर है, में रहे तथा परबतसर निवास के दौरान ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की बहन की बच्ची की तबीयत अजमेर में खराब हुई तथा उसे अस्पताल ले जाने पड़ा जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पुत्री को एक सप्ताह के लिए जब अजमेर लेकर आ गया तथा दोनो अजमेर में रहने लगे जब रेस्पोड़ेन्ट संख्या 2 नौकरी पर परबतसर जिला नागौर गया हुआ था तब पीछे से दिनांक 30.11.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने भाईयो को बुलवा लिया तथा उनके साथ मिलकर

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलार्थीगण से लडाई झगडा व गाली गलौच की तथा अपने भाईयो के साथ अपना समस्त सामान गहने कपडे लेकर जयपुर चली गयी जिस हेतु भी पुलिस में अपीलार्थीगण ने शिकायत की थी। प्रत्यर्थीगण वर्ष अक्टूबर 2015 से अपीलार्थीगण से अलग पाली मारवाड रहे फिर जुलाई 2019 से परबतसर जिला नागौर रहे तथा अंतिम बार अस्थायी रूप से 7 दिनों के लिए अजमेर रहे जहा से रेस्पोडेन्ट संख्या एक दिनांक 30.11.2021 को जयपुर चली गयी तथा वही अपने पिता के साथ सम्पत्ति संख्या प्लाट संख्या 1 कमल विहार माण्यावास रोड मानसरोवर जयपुर में निवास कर रही थी किन्तु अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पर दबाव बनाने की दुर्भावना से वैवाहिक आवास के कानूनी प्रावधान की आड मे कानूनी विधियो का दुरूपयोग कर अचानक दिनांक 17.09.2023 को लगभग 22 माह बाद जबरन अपीलार्थीगण की सम्पत्ति में अवैध रूप से प्रवेश कर एक कमरे मे स्वंय को तथा पुत्री को बंद कर लिया व आत्महत्या की धमकिया दी जिस पर अपीलार्थीगण ने पुलिस मे शिकायत भी की किन्तु मात्र धारा 107, 116 (3) द.प्र.स. की कार्यवाही कर पुलिस मे अन्य कोई राहत अपीलार्थीगण को नही दिलाई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध क्रूरता कारित करने के आधार पर दिनांक 20.12.2021 को विवाह विच्छेद करने के आधार पर दिनांक 20.12.2021 को विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जिसमें पता जयपुर का दिया गया है वही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तामिल हुई इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मे स्वंय द्वारा धारा 125 द.प्र.स. व धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम की प्रस्तुत याचिकाओ मे अपना निवास जयपुर दर्शाया है साथ ही माननीय राज0 उच्च न्यायालय में विवाह विच्छेद याचिका अजमेर से जयपुर स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रस्तुत की उसमें भी अपना निवास का पता जयपुर का ही दर्शाया है तथा स्थानान्तरण याचिका का आदेश दिनांक 31.05.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मे अपना पता जयपुर का दर्शाते हुए गलत एवं मिथ्या आधारो पर स्थानान्तरण याचिका मे आदेश पारित करवा लिये है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आज भी जबरन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से अलग अपीलार्थी की सम्पत्ति मे अतिक्रमी की हैसियत से निवास कर रही है। एक कमरे में रहकर जबरन अपीलार्थी की सम्पत्ति मे निवास कर रही है। अपीलार्थीगण की स्वंय अर्जित के एक कमरे में जबरन निवास कर उन्हे मानसिक अशांति कारित कर रही है। अत: अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यो एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यो हमारे समक्ष व्यक्त कथनो, उनकी वृद्धावस्था, असहायता एवं उनकी वर्तमान परिस्थितियो के मद्देनजर न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 36/2023 दिनांक 01.06.2024 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णत: चस्पा होते है। अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती कि रेस्पोडेन्ट 1 अपने स्वंय के पृथक रहवास की व्यवस्था करने व इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर तक मकान खाली कर देवे। अपीलान्ट के मालिकाना हक की उक्त सम्पत्ति मकान संख्या 750, प्रगति नगर, कोटड़ा अजमेर राजस्थान मे किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग नही करेगे तथा आवासीय सम्पत्ति को खाली कर अपीलान्ट को सुपुर्द करेगें। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को जरिये इस आदेश पाबंद किया जाता है कि अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी कतई नही हो इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखे। रेस्पोडेन्टगण इस सम्पति बाबत किसी

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रकार का लडाई–झगड़ा, नहीं करें। इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर